न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/310/2015

वउनवान

1. मोहनसिंह पुत्र गिरधर जाति जाटव निवासी खेरलीरेल
2. खुशीराम पुत्र गिरधर जाति जाटव निवासी खेरलीरेल
3. विष्णु पुत्र गिरधर जाति जाटव निवासी खेरलीरेल
4. उत्तम उर्फ गोपाल जाति जाटव निवासी खेरलीरेल
5. जालिम पुत्र रामस्वरूप जाति जाटव निवासी खेरलीरेल
6. फूलसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति जाटव निवासी खेरलीरेल

तहसील कठूमर जिला अलवर

—————— वादीगण

बनाम

1. केशन्ती पुत्री जामोती माता खुद बेवा चिरंजी दादा सुगरी जाति जाटव
2. मांगी पुत्र हरिया पोत्र सुगरी जाति जाटव
3. किशनलाल पुत्र हरिया पोत्र सुगरी जाति जाटव
4. पूरण पुत्र हरिया पोत्र सुगरी जाति जाटव
5. मुरली पुत्र परमा पोत्र सुगरी जाति जाटव (मृतक)
6. मवासी पुत्र परमा पोत्र सुगरी जाति जाटव
7. मुरारी पुत्र परमा पोत्र सुगरी जाति जाटव
8. घनश्याम पुत्र किरोडी पोत्र सुगरी जाति जाटव
9. रामलाल पुत्र किरोडी पोत्र सुगरी जाति जाटव
10. अमरलाल पुत्र किरोडी पोत्र सुगरी जाति जाटव
11. भजनलाल पुत्र किरोडी पोत्र सुगरी जाति जाटव
12. छोटेलाल पुत्र चमेली जाति जाटव
13. बाबेलाल पुत्र चमेली जाति जाटव
14. परसादी पुत्र चमेली जाति जाटव
15. नवल पुत्र किशनसिंह जाति जाटव तहसील कठूमर जिला अलवर
16. उम्मेदीलाल पुत्र किशनलाल जाति मीणा निवासी सालिमपुर तहसील महुआ

Scanned by CamScanner

17. उपपंजीयक महोदय कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर

------ असल प्रतिवादीगण

18. परिसेन पुत्र गिरधर जाति जाटव निवासी खेरलीरेल तहसील कठूमर जिला अलवर

------ तर0 प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

श्री सुभाष चन्द एडवोकेट : वकील वादी

निर्णय

दिनांक 13/08/19

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर हाल 229 रकवा 0.25 है0 जिसका साबिक खसरा नम्बर 138 मिन रकवा 1 बीघा , हाल खसरा नम्बर 252 रकबा 0.68 है0 जिसका साबिक खसरा नम्बर 141 मिन रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा , हाल खसरा नम्बर 220 रकबा 0.01 है0 जिसका साबिक खसरा नम्बर 139 मिन रकबा 1 बिस्वा , खसरा नम्बर हाल 217 रकबा 0.04 है0 जिसका साबिक खसरा नम्बर 139 मिन रकबा 7 बिस्वा वाके ग्राम खेरलीरेल तह0 कठूमर जिला अलवर में वाके है। साबिक खसरा नम्बर 137,138,139,141 वादीगण एवं प्रतिवादीगण वो तरतीवी प्रतिवादीगण स्वयं व इनके बालिक(बुजुर्गान) की पैदा कर्दा व कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी थी जिस पर वो काबिज रहकर काश्त करते थे, लेकिन वन्दोवस्त से पूर्व ही उपरोक्त साबिक खसरा नम्बरान का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बुजुर्ग व तरतीवी प्रतिवादी सं. 18 के मध्य आपस में सहमति से वस्वेच्छा पूर्वक घरू बंटवारा हो गया। जिस बंटवारा में साबिक आराजी खसरा नम्बर 137 मिन तर्फ पश्चिम रकबा 18 बिस्वा , 138 मिन तर्फ पश्चिम रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा 139 मिन तर्फ पश्चिम रकबा पश्चिम रकबा 3 बिस्वा व खसरा नम्बर 141 मिन तर्फ पूर्व रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा वादीगण के बुजुर्गान व तर. प्रति. सं. 18 के हक हिस्सा व कब्जा व घरू बंटवारे में आये जिस पर वो जब तक जीवित रहे , काश्त करते रहे। वादीगण के बुजुर्गान के फौत हो जाने पर अब वादीगण काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं। इसी तरह साबिक आराजी खसरा नम्बर 137 मिन तर्फ पूर्व रकवा 10 बिस्वा 138 मिन तर्फ पूर्व रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा 139 मिन तर्फ दक्षिण रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा , 141 मिन तर्फ पश्चिम रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा जिनके खसरा नम्बर हाल 228,230,226,251 वाके ग्राम खेरलीरेल प्रतिवादीगण के स्वयं व उनके बुजुर्गान के

Scanned by CamScanner

हक हिस्सा व कब्जे में आये जिन पर वो काबिज रहकर काश्त करते रहे। उक्त घरू बंटवारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण स्वयं व उनके बुजुर्गान की सहमति से हुआ था। इस बंटवारे की बावत बन्दोबस्त से पूर्व तमाम साबिक रेवन्यु रिकार्ड में अलग अलग बंटवारे के अनुसार खातेदारी के इन्द्राज दर्ज हैं। बन्दोबस्त द्वारा उक्त आराजी में प्रति. का नाम दर्ज कर दिया , जिससे वादीगण के हक व अधिकारों पर विपरीत असर पड रहा है। इसलिए वादीगण ने हाल राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन कराकर अपने नाम खातेदारी इन्द्राज कराने के लिए दावा पेश किया है। आराजी खसरा नम्बर हाल 225 रकबा 0.09 है0 राजस्थान राज्य आद्योगिक एवं खनिज वित्त निगम जयपुर के हक में दर्ज हो गयी है तथा विवादित आराजी पर वादीगण एवं तर. प्रतिवादीगण सं0 18 मौके पर काबिज है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2 लगा0 4 तथा 7 लगा0 15 द्वारा राजीनामा पेश किया गया । प्रतिवादी संख्या 1,5 व 6 उपस्थित नहीं। वादी द्वारा सभी की हिस्सेदारी का विवरण दिया गया तथा दस्तावेज प्रदर्श किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाब या दस्तावेज वादीगण के विरोध में पेश नहीं किये गये बल्कि राजीनामा पेश कर वादीगण के दावा को ताईद किया है। इस वजह से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पकक्षीय कार्यवाही की गई। वादी द्वारा प्रतिवादी सं0 6 की बावत आदेश 22 नियम 4 जा0 दी0 पेश की जो स्वीकार की गई तथा तलवी वारिसयान कि गई किन्तु कोई उप0 नही आया।

वादी ने अपने दावा की ताईद में मिसल वन्दोवस्त संवत 2028 प्रदर्श 1 , मिसल वन्दोवस्त संवत 2028 प्रदर्श 2 किता 2 , मिसल वन्दोवस्त संवत 2028 प्रदर्श 3 किता 2, जमाबन्दी संवत 2019 से 203 प्रदर्श 4, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 5, जमाबन्दी संवत 2062 से 2065 प्रदर्श 6, जमाबन्दी संवत 2062 से 2065 प्रदर्श 7, खसरा गिरदावरी संवत 2010 से 2019 किता 7 प्रदर्श 8 पेश की जो शामिल पत्रावली है।

वादीगण ने अपने दावा की ताईद में पी डब्लू 1 मोहनसिंह पुत्र गिरधर सिंह जाति जाटव निवासी खेरलीरेल के हल्फनामा पेश कर बयान कराये गए हैं।

बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। रिकॉर्ड के अनुसार बयनामा के आधार पर आराजी खसरा नं. 220 का एक हिस्सा तन्हा मोहनलाल का खसरा नं. 252 वादी सं. 1 का 1/2 हिस्सा तथा वादी सं. 2 लगायत 6 का 1/2 हिस्सा मौके पर काबिज है। खसरा नं. 251 नवल सिंह पुत्र विशन सिंह

Scanned by CamScanner

राजपूत का है। खसरा नं. 217 में वादी सं. 1 का मकान बना हुआ है जो वादी को जर्ये डिक्री प्राप्त हुआ है। खसरा नं. 215,229 प्रतिवादी सं. 18 का है। खसरा नं. 225 औद्योगिक क्षेत्र में गया जो वादी नं. 2 लगायत 6 का था। खसरा नं. 221 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा औद्योगिक क्षेत्र में गई जो प्रतिवादी नं. 6 से 11 की थी तथा खसरा नं. 221 का 13 बिस्वा रकबा 13 बिस्वा सडक में चली गयी है । खसरा नं. 218 में प्रतिवादीगण सं. 6 से 11 के मकान बने हुए हैं। खसरा नं. 224 केशन्ती पुत्री जामोती बेवा चिरंजी थी जो औद्योगिक क्षेत्र में गई जिसका प्रतिवादी सं. 1 को मुआवजा मिल चुका है। खसरा नं. 231,213 प्रतिवादी नं. 1 केशन्ती की थी जिसका केशन्ती ने बेचान कर दिया है। प्रतिवादी नं. 2 लगायत 4 का खसरा नं. 233 है जिस पर प्रतिवादी नं. 2 लगायत 4 मौके पर काबिज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण इसी कदर मौके पर काबिज रहकर उपयोग व उपभोग में लेते चले आ रहे हैं। प्रतिवादी नं 4 व 5 के वारिसान व 8 लगायत 15 ने राजीनामा पेश कर दावा को ताईद किया है तथा शेष प्रतिवादीगण इत्तला के बावजूद हाजिर न होने पर एकतरफा कार्यवाही की गयी। अतः दावा वादीगण सावित होने से डिक्री योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः दावा वादी डिक्री किया जाकर वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 229 रकबा 0.25 है0 252 रकबा 0.88 है0 220 का वादी सं0 1 को 1/2 हिस्सा तथा वादी सं0 2 लगा0 6 को 1/2 हिस्सा रकबा 0.01 है0 217 रकबा 0.04 है0 तन्हा वादी नं0 1 को वाके ग्राम खेरलीरेल तहसील कठूमर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण को उपरोक्त आराजी पर कब्जे काश्त संबंधी कार्य करने में किसी प्रकार की रूकावट मजाहमत पैदा न करें, जबरन बेदखल कर खुद कब्जा न करें एवं रहन बेय न करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो व वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(नरेन्द्र कुमार वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 13/08/19 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र कुमार वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1 / 310 / 2015

वउनवान

1. मोहनसिंह पुत्र गिरधर जाति जाटव निवासी खेरलीरेल
2. खुशीराम पुत्र गिरधर जाति जाटव निवासी खेरलीरेल
3. विष्णु पुत्र गिरधर जाति जाटव निवासी खेरलीरेल
4. उत्तम उर्फ गोपाल जाति जाटव निवासी खेरलीरेल
5. जालिम पुत्र रामस्वरूप जाति जाटव निवासी खेरलीरेल
6. फूलसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति जाटव निवासी खेरलीरेल

तहसील कठूमर जिला अलवर

—————— वादीगण

वनाम

1. केशन्ती पुत्री जामोती माता खुद बेवा चिरंजी दादा सुगरी जाति जाटव
2. मांगी पुत्र हरिया पोत्र सुगरी जाति जाटव
3. किशनलाल पुत्र हरिया पोत्र सुगरी जाति जाटव
4. पूरण पुत्र हरिया पोत्र सुगरी जाति जाटव
5. मुरली पुत्र परमा पोत्र सुगरी जाति जाटव
6. मवासी पुत्र परमा पोत्र सुगरी जाति जाटव
7. मुरारी पुत्र परमा पोत्र सुगरी जाति जाटव
8. घनश्याम पुत्र किरोडी पोत्र सुगरी जाति जाटव
9. रामलाल पुत्र किरोडी पोत्र सुगरी जाति जाटव
10. अमरलाल पुत्र किरोडी पोत्र सुगरी जाति जाटव
11. भजनलाल पुत्र किरोडी पोत्र सुगरी जाति जाटव
12. छोटेलाल पुत्र चमेली जाति जाटव
13. बाबेलाल पुत्र चमेली जाति जाटव
14. परसादी पुत्र चमेली जाति जाटव
15. नवल पुत्र किशनसिंह जाति जाटव तहसील कठूमर जिला अलवर

Scanned by CamScanner

16. उम्मेदीलाल पुत्र किशनलाल जाति मीणा निवासी सालिमपुर तहसील महुआ

17. उपपंजीयक महोदय कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर

——— असल प्रतिवादीगण

18. महिपाल पुत्र गिरधर जाति जाटव निवासी खेरलीरेल तहसील कठूमर जिला अलवर

——— तर० प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

श्री सुभाष चन्द एडवोकेट : वकील वादी

दावा घोषणात्मक वो हुकमइम्तनाई दवामी

दावा वादी डिक्री किया जाकर वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 229 रकबा 0.25 है० 252 रकबा 0.88 है० 220 का वादी सं० 1 को 1/2 हिस्सा तथा वादी सं० 2 लगा० 6 को 1/2 हिस्सा रकबा 0.01 है० 217 रकबा 0.04 है० तन्हा वादी नं० 1 को वाके ग्राम खेरलीरेल तहसील कठूमर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण को उपरोक्त आराजी पर कब्जे काश्त संबंधी कार्य करने में किसी प्रकार की रुकावट मजाहमत पैदा न करें, जबरन बेदखल कर खुद कब्जा न करें एवं रहन बेच न करें।

आज दिनांक 13.08.2019 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

(नरेन्द्र कुमार वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

Scanned by CamScanner